"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 446] रायपुर,मंगलवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2016—— अग्रहायण 22, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक 12571/वि. स./स्था./2016. —— सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22, सन् 2005) की धारा -28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अध्यक्ष, विधान सभा छत्तीसगढ़ "छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क और मूल्य विनियमन) संशोधन नियम-2011" में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — (1) यह नियम "छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क और मूल्य विनियमन) (संशोधन) नियम-2016" कहलायेंगे.

   (2) यह नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषा — नियम का तात्पर्य छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क और मूल्य विनियमन) नियम-2011 से है.

3. नियम-5 में संशोधन — नियम-5 में अंक एवं शब्द रुपये 500/- (रुपये पांच सौ) के स्थान पर अंक एवं शब्द रुपये 300/- (रुपये तीन सौ) प्रतिस्थापित किया जाय.

आदेशानुसार
हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016 .